प्रपत्र 'ख'

..... को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान–स्वापक औषधि के आयात, निर्यात और स्टाक का विवरण।

(लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा उस तिमाही की, जिसके सम्बंध में विवरण–पत्र है, समाप्ति के पष्चात् पन्द्रह दिन के भीतर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु)।

जिले का नाम .....

लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी का नाम और पता .....

1. विनिमित औषधि का नाम
2. पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम दिन का स्टाक
3. तिमाही के दौरान विदेषों से आयात
4. तिमाही के दौरान भारत के अन्य राज्यों से आयात
5. तिमाही के दौरान राज्य में अन्य व्यापारियों से क्रय, यदि कोई हो
6. कुल प्राप्तियां
7. तिमाही के दौरान विदेशों को निर्यात
8. तिमाही के दौरान भारत के अन्य राज्यों को निर्यात
9. तिमाही के दौरान राज्य में स्वापक औषधि लाइसेन्स–व्यापारी लाइसेन्स रखने वाले विनिर्मिताओं की बिक्री
10. तिमाही के दौरान राज्य में सिविल अस्पतालों और इसी प्रकार की संस्थाओं को बिक्री
11. तिमाही के दौरान राज्य में अन्य अनुज्ञा–पत्रधारियों को यदि कोई हो, बिक्री
12. स्वापक, औषधि लाइसेन्स रसायनज्ञ (एन. डी. एल. सी.) लाइसेन्सधारियों को बिक्री की गयी मात्रा

13. कुल व्यय की गयी मात्रा

14. तिमाही के अन्तिम दिन स्टाक

(लाइसेन्सधारी के हस्ताक्षर सम्बद्ध सर्किल के आबकारी निरीक्षक द्वारा सत्यापन।

फार्म
(एन.डी. एल. सी.)
प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि लाइसेन्स–रसायनज्ञ
[नियम 2 (ग्यारह) तथा 17 (2)]

लाइसेन्स प्राप्त रसायनों द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों के क्रय, कब्जे में रखने और विक्रय के लिए लाइसेन्स

जिला .....

लाइसेन्स की संख्या .....

रसायनज्ञ का नाम .....

दुकान का स्थान .....

विदित हो कि रसायनज्ञ .....

निवासी ..... को एतद्द्वारा .....

..... के कलेक्टर द्वारा, निम्नलिखित षर्तोंके अधीन 100 रुप्ये की लाइसेंस फीस देने पर, इस लाइसेंस के दिनांक से 31 मार्च, 198 तक के लिये औषधि के रूप में निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों के ..... में क्रय, विक्रय और कब्जे में रखने के लये प्राधिकृत किया जाता है।

1– कि वह इस लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(क) कि उसकि कब्जे में औषधियों में निहित मार्फीन के साथ डाइकेटिलनोरफिन की कुल मात्रा समग्र रू॰ में 10 ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) कि उसके कब्जे में भांग (हेम्प) के अर्क और टिचर की प्रत्येक की कुल मात्रा 200 ग्राम या ऐसी अधिक मात्रा, जो आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से कलेक्टर के द्वारा निर्धारित की जाय, से अधिक नहीं होगी।

(ग) कि वह अपने कब्जे में कुल मिलाकर 10 ग्राम से अधिक कोकेन किसी भी समय नहीं रखेगा।

(घ) कि वह अपने कब्जे में ऐसी अन्य स्वापक औषधियों की ऐसी मात्रा से अधिक मात्रा किसी भी समय नहीं रखेगा जिनमें 50 ग्राम से अधिक सक्रिय अंष हो।

टिप्पणी– कोकेन की निर्मित या सम्मिश्रण की स्थिति में इस खण्ड के अधीन कब्जे में रखने की सीमा या इस खण्ड के अधीन बिक्री की सीमा कोकेन की मात्रा से जो वास्तव में ऐसी निर्मित या सम्मिश्रण में हो, अवधारित की जायेगी।

(2) कि वह औषधियों का भण्डारण और विक्रय केवल उसी परिसर में करेगा जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है, और यह कि वह किसी पृथक, लाइसेंस के बिना औषधियों का विक्रय या भण्डारण किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा।

(3) कि वह इन लाइसेंस के अधीन विक्रय की जाने वाली औषधियों को किसी लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ, लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, गाजीपुर से क्रय करेगा और यह कि वह कहीं अन्यत्र से प्राप्त औषधियों को न तो ग्रहण करेगा और न उन्हें अपने कब्जे में रखेगा।

(4) कि यदि उसे भारत के बाहर से औषधियों का आयात करने की अनुज्ञा दी गयी है तो वह प्रत्येक अवसर पर जब वह औषधियां आयात करना चाहता है और उनके लिये मांग–पत्र भेजने से पूर्व कलेक्टर से आयात अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करेगा और ऐसे अन्य नियमों के अनुरूप, जो केन्द्रीय सरकार बनाये, कार्य करेगा।

(5) कि वह निम्नलिखित षर्तोके अधीन रहते हुए नुसखे पर औषधियों का विक्रय कर सकता है:–

(क) वह औषधियों का विक्रय ऐसी मात्रा में और केवल ऐसे व्यक्ति के प्रयोग के लिये करेगा जो नुसखे में विनिर्दिष्ट हो।

(ख) यदि नुसखे में अनुमोतदित व्यवयासी द्वारा यह अपरिलेखन न हो कि औषधि की पुनरावृत्ति की जानी है और कितने समय के अन्तराल पर पुनरावृत्ति की जानी है तो वह ऐसे नुसखे पर औषधियों का विक्रय केवल एक बार करेगा और नुसखे को अपने

पास रख लेगा, किन्तु वह पहले नुसखा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह चेतावनी देगा कि यदि नुसखे पर यथा पूवोक्त उपरिलेखन न होगा तो उसे रख लिया जायेगा।

(ग) यदि नुसखे पर, यथापूर्वोक्त उपरिलेखन है तो वह नुसखे पर बिक्री का दिनांक लिखेगा और नुसखे पर हस्ताक्षर करेगा या मुहर लगायेगा, परन्तु यदि यह प्रतीत हो कि नुखसे पर औषधि पहले ही छः बार या उतनी बार जितनी नुसखे पर पुनरावृत्ति अपेक्षित है, बेची जा चुकी है या यह कि जब नुसखे पर पिछली बार औषधि दी गयी थी तब से उपरिलेखन में विनिदिष्ट अन्तराल व्यतीत नहीं हुआ है, तो वह ऐसे नुसखे पर तब तक औषधि नहीं बेचेगा। जब तक कि अनुमोदित व्यवसायी द्वारा इस निर्मित्त नुसखे पर पुनः न लिखा जाय।

नुसखे पर औषधि पहले ही छः बार या उतनी बार जितनी नुसखे पर पुनरावृत्ति अपेक्षित है, बेची जा चुकी है या यह कि जब नुसखे पर पिछली बार औषधि दी गयी थी तब से उपरिलेखन में विनिर्दिष्ट अन्तराल व्यतीत नहीं हुआ है, तो वह ऐसे नुसखे पर तब तक औषधि नहीं बेचेगा जब तक कि अनुमोदित व्यवसायी द्वारा इस निर्मित्त नुसखे पर पुनः न लिखा जाय।

(6) कि वह नुसखे से भिन्न प्रकार से औषधि की बिक्री––

(क) लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को,

(ख) अनुमोदित व्यवसायी को,

(ग) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रबन्ध या पर्यवेक्षण में किसी अस्पताल या औषधालय का प्रभार हो, कर सकता है।

(7) कि वह निम्नलिखित प्रपत्र में लेखा रखेगा और उसमें प्रविटिष्टयां उसी दिन की जायेगी जिस दिन संव्यवहार किया जाय।

दिनांक	प्रारम्भिक अतिषेष	दिन ..... को प्राप्त मात्रा और जब प्राप्त हुयी	कुल मात्रा जिसका लेखा रखा जायेगा	दिन ..... को विक्रय की गयी मात्रा	केता का नाम
1	2	3	4	5	6

पता	नुसखे का दिनांक (यदि कोई हो) और चिकित्सा व्यवसायी का नाम जिसने स्वीकृत किया	स्टाक में अवषेष मात्रा	अभ्युक्तियां
7	8	9	10

(8) कि वह कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विषेष रूप से या सामान्यतया प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग कने पर अपना लाइसेंस, औषधि की बिक्री का लेखा और ऐसा नुसखा जिसके प्राधिकार से बिक्री की गयी है निरीक्षण के लिये तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

(9) यह लाइसेंस स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों का या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का या ऊपर उल्लिखित षर्तोंका स्वयं लाइसेंसधारी या उसके भागीदार या अभिकर्ता या उस परिसर में जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है सेवायोजित या कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(10) कि वह ऐसे समस्त विवरण–पत्र और विवरणियां जो प्रस्तुत के लिये प्राधिकारी को नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा।

(11) कि वह इस लाइसेंस की षर्तोंके सम्यक् अनुपालन के लिये सम्यक् रूप से कलेक्टर के नाम प्रतिश्रुत 1000 रुप्ये की धनराषि नकदी में सरकारी बचत–पत्र के रूप में या ऐसी अन्य मूल्यवान प्रत्याभूतियों के रूप में जैसी आवकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाय, कलेक्टर के पास जमा करेगा। इस लाइसेंस की षर्तोंके उल्लंघन या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन दोषसिद्धि की दषा में उक्त अधिनियमों के अधीन अधिरोपित ष्षास्तियों के, अतिरिक्त प्रत्याभूति से सहपहृत कर ली जायेगी।

स्थान
दिनांक 198 कलेक्टर

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन. डी. टी)

[नियम 18 (1) (2)]

विनिर्मित औषधियो के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र

(प्रथम प्रति)

(लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी या लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ को देने के लिए)

अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता	स्थान जहां से विनिर्मित औषधि का परिवहन किया जायेगा	विनिर्मित औषधि के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)

[नियम 18 (1) (2)]

विनिर्मित औषधि के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र

(द्वितीय प्रति)

(उस जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करने हेतु जहां से परिवहन किया जायेगा)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा पत्र धारी का नाम	पता	स्थान जहां से विनिर्मित मित औषधि का परिवहन किया जायेगा	विनिर्मित औषधि के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)

[नियम 18 (1) (2)]

विनिर्मित औषधियों के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र

(तृतीय प्रति)

(उस व्यापारी को देने हेतु जिससे क्रय किया जायेगा)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता	स्थान जहां से विनिर्मित मित औषधि का परिहवन किया जायेगा	विनिर्मित औषधि के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)

[नियम 18 (1) (2)]

विनिर्मित औषधि के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र

(चतुर्थ प्रति)

(अभिलेख के लिए रखी जायेगी)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता	स्थान जहां से विनिर्मित औषधि का परिवहन किया जायेगा	विनिर्मित औषधि के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 (फार्म संख्या– एन. डी. पी. एस.–1)

(नियम 23, 24 तथा 25)

लाइसेंस प्राप्त व्यापारी पोस्त तृण के क्रय, भाण्डारण और विक्रय के लिए लाइसेंस

रजिस्टर संख्या .... ————————————

लाइसेंसधारी का नाम .... ————————————

विक्रेता का नाम .... ————————————

परिसर का निष्चित विवरण जहां पर पोस्त–तृण ... ————————————

स्टाक किया जायेगा और बेचा जायेगा। ..... ————————————

एतद्द्वारा यह लाइसेंस स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत और उनके उपबन्धों के अधीन ..... निवासी .... को (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) 100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) की लाइसेंस फीस देने पर स्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें .... जिला ..... में निम्नलिखित षर्तोके अधीन पोस्त तृण क्रय करने, कब्जे में रखने और विक्रय करने का प्राधिकार दिया गया है, अर्थात् :–

षर्तें

1– यह लाइसेंस ..... से 31 मार्च, 198 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) प्रवृत्त रहेगा।

2– लाइसेंसधारी जैसा कि उत्तर प्रदेष स्वापक औषषि नियमावली, 1986 के अधीन अनुज्ञा दी गई है, उसके सिवाय पोस्त तृण प्राप्त नहीं करेगा।

3–लाइसेंसधारी उपर्युक्त परिसर के अलावा अन्यंत्र पोस्त तृण नहीं रखेगा।

4– लाइसेंधारी इस लाइसेंस में प्रदर्षित परिसर से ही बिक्री करेगा।

5– लाइसेंसधारी द्वारा इस लाइसेंस के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न कोई भी पोस्त तृण न कब्जे में रखा जायेगा और न बेचा जायेगा। वह बिक्री के प्रयोजनार्थ अपनी दुकान न तो कब्जे में रखा जायेगा और न बेचा जायेगा। वह बिक्री के प्रयोजनार्थ अपनी दुकान न तो सूर्योदय से पहले खोलेगा और न सूर्यास्त के बाद खुल रखेगा।

6– लाइसेंसधारी केवल पोस्त–तृण बेचेगा। वह न तो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का कोई स्टाक रखेगा और न तो पोस्त तृण (जिसे वह बेचने के लिए प्राधिकृत है) के साथ मिश्रित करके या अलग से बेचेगा।

7– लाइसेंसधारी पोस्त–तृण का विक्रय केवल उसी प्रकार करेगा जैसा उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में विहित है।

8–वह केवल उन व्यक्तियों को ही विक्रय करेगा जिनके पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के अधीन जारी किया गया प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में लाइसेंस हो या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद षुल्क) नियम, 1956 के अधीन जारी किया गया प्रपत्र एल.–1 एल.–2 में लाइसेंस हो।

9– दुकान के प्रवेष द्वारा पर लाइसेंसधारी द्वारा एक संकेत पट्ट लगाया जायेगा जिस पर लाइसेंसधरी का नाम और पदाभिधान लाइसेंस प्राप्त पोस्त–तृण के व्यापारी प्रदर्षित होगा।

10–लाइसेंसधारी उपर्युक्त परिसर में किसी भी रूप में पोस्त–तृण के सेवन की अनुज्ञा नही देगा।

11– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति अपनी ओर से बिक्री करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम उसके द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन के लिए पहले से प्रस्तुत न किया गया हो औरउसके अनुमोदन के पष्चात् उसका सम्यक् रूप से पृष्ठांकन लाइसेंस में न कर दिया गया हो।

12– लाइसेंसधारी तराजू और बांट सही और अच्छी दषा में रखेगा।

13– लाइसेंसधारी पोस्त–तृण की दैनिक प्राप्ति और बिक्री का लेखा प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–6 में रखेगा।

14– लाइसेंसधारी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सषक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपना लाइसेंस और लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और किसी ऐसे अधिकारी को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने परिसर में प्रवेष करने देगा। वह ऐसे अधिकारी को पोस्त तृण के स्टाक की जांच करने और उसका नमूना लेने देगा।

15– लाइसेंसधारी इस लाइसेंस प्रदत्त विषेषाधिकारों का न तो विक्रय करेगा न अन्तरण करेगा न उपट्टा पर देगा और इस लाइसेंस के अधीन किये जाने वाले कारबार में किसी व्यक्ति को कलेक्टर की अनुमति के सिवाय भागीदार नहीं बनायेगा।

16– इस लाइसेंस की किसी भी ष्षर्त के या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा लाइसेंसधारी पर अधिरोपित किसी ष्षर्त के उल्लंघन पर, कलेक्टर द्वारा यह लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा, और जिस पोस्त–तृण के सम्बंध में ऐसा उल्लंघन किया जाय, उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार समपहृत कर लिया जायेगा।

17– यदि इस लाइसेंस का नवीनकरण उसकी समाप्ति पर न किया जाय तो लाइसेंसधारी अप्रयुक्त पोस्त–तृण के स्टाक का निस्तारण उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 20 (3) (क), (ख) (ग), (घ) और (च) में निर्धारित रीति से तुरन्त कर देगा।

18– लाइसेंसधारी उस लेखा को भी सौंप देगा जिसका उसके द्वारा इस लाइसेंस के अधीन रखना अपेक्षित है।

जिला .....

दिनांक ..... कलेक्टर

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 (फार्म संख्या– एन. डी. पी. एस.–2)

(नियम–26)

उत्तर प्रदेष में वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों के लिए पोस्त तृण को क्रय करने, कब्जे में रखने परिवहन और उपयोग करने के लिए अनुज्ञा–पत्र

1– अनुज्ञा–पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और .....

और वृत्ति .....

2– पिता/पति का नाम .....

3– स्थायी पता .....

4– प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र दिया जाय .....

5– पोस्त तृण की अनुज्ञात मात्रा .....

6– पोस्त तृण के प्रयोग करने के स्थान का विवरिण .....

7– वह अवधि जिसके दौरान पोस्त तृण का प्रयोग किया जायेगा। .....

8– लाइसेंस प्राप्त दुकान का नाम जहां से पोस्त .....

तृण प्राप्त किया जायेगा। .....

9– अनुज्ञा–पत्र के लिए जमा की गयी फीस .....

10– अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तवाधि .... से ..... तक

यह अनुज्ञा–पत्र, जो कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत और उनके उपबन्धों के अधीन ..... निवासी .... को (जिसे आगे अनुज्ञा–पत्र धारी कहा गया है) दिया

जाता है जिसमें उन्हें निम्नलिखित षर्तों के अधीन वैज्ञानिक/औषधीय प्रयोजनों के लिए पोस्त तृण का परिवहन करने और कब्जे में रखने के लिए प्राधिकार दिया गया है।

षर्तें

1– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को यथासंभव ष्षीघ्र किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर प्रति–हस्ताक्षर के लिए सीनीय आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने पोस्त–तृण का संभरण केवल ऐसे लाइसेंस प्राप्त व्यापारी से, जिसके पास प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण में लाइसेंस हो, प्राप्त करेगा और उसे प्रयोग के लिए अनुमोदित स्थान को अविलम्ब निकटतम मार्ग से ले जायेगा औरवह अभिवहन में परेषण को गड़बड नहीं करेगा।

3– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को पोस्त तृण कय करते समय लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को अनुज्ञा–पत्रधारी को बेची गयी पोस्त तृण की मात्रा की अनुज्ञा–पत्र के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकित करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

4– यह अनुज्ञा–पत्र अन्तरणीय है और अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही दिया जाता है।

5–इस अनुज्ञा पत्र पर प्राप्त पोस्त तृण का या को मुक्त दान या बिक्री के रूप में अन्तरण पूर्णतः प्रतिषद्ध है।

6– इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न कोई भी पोस्त तृण अनुज्ञा–पत्र धारी द्वारा न तो परिवहन किया जायेगा न कब्जे में रखा जायेगा और न प्रयोग किया जायेगा।

7– इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन स्वीकृत पोस्त तृण का परिहवन करने और कब्जे में रखने का विषेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक इस अनुज्ञा पत्र के अनुसार उसका प्रयोग आनुषंगिक है।

8– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने द्वारा क्रय किये गये और प्रयुक्त पोस्त तृण की मात्रा का नियमित लेखा इससे संलग्न विहित प्रपत्र "ग" में रखेगा।

9–अनुज्ञा–पत्रधारी अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तनावधि के दौरान अपने लेखा में अन्ति अतिषेष के रूप में दिखायी गयी मात्रा से अधिक पोस्त तृण किसी भी समय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

10– अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा ऐसी वस्तु का जिसके उत्पादन से पोस्त तृण का प्रयोग आनुषंगिक है, कब्जे में रखना और व्यय करना उचित होगा। परन्तु जब उत्पादित वस्तु औषधीय निर्मित हो, जब उसका बिक्रय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में अनुज्ञा पत्रधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद ष्षुल्क) अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अतिलंघन नहीं किया जायेगा।

11– अनुज्ञा–पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी के न हों, मांग करने पर इस अनुज्ञा–पत्र को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

12– उपर्युक्त किसी ष्षर्त का या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 द्वारा यह उसके अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा अधिरोपित किसी ष्षर्त का अतिलंघन करने पर यह अनुज्ञा–पत्र रद्द किया जा सकता है और स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

13– यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा–पत्र अभ्यर्पित, निलम्बित या रद्द कर दिया जायेगा, या इसकी समाप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो लाइसेंन्सधारी अप्रयुक्त पोस्त तृण के स्टाक का निस्तारण उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 20 (क), (ख), (ग) (घ) और (च) में निर्धारित रीति से तुरन्त कर देगा।

जिला ——————————————

कलेक्टर

दिनांकः– ——————————————

प्रपत्र–ग

क–अनुज्ञा पत्रधारी द्वारा क्रय किये पोस्त तृण का ब्योरा

दिनांक	क्रय के लिए अनुज्ञात पोस्त तृण की कुल मात्रा	क्रय की गयी पोस्त तृण की मात्रा	क्रय की गयी पोस्त तृण की मात्रा का चालू योग	लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

ख–प्राप्त पोस्त तृण के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक अतिषेष	प्राप्त मात्रा	हस्तगण कुल मात्रा	प्रयुक्त मात्रा	अन्तिम अतिषेष का ढंग	संक्षेप में उपयोग करने	अनुज्ञा–पत्र धारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या औषधि पोस्त तृण–3 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –3)

[नियम 29 (1) (2)]

पोस्त तृण के परिवहन के लिए पास

(प्रथम प्रति)

(उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित करने हेतु जहां से परिवहन किया जायेगा)

क्रम संख्या ———— दिनांक ———— 198
श्री/सर्वश्री ———— को
एतद्द्वारा ————से ———— तक

पोस्त तृण का, जिसका विस्तृण वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:–

परिहवन किये जाने वाले पोस्त तृण की कुल मात्रा — बंडल — संख्या — कुल वनज

यह पस उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है:

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास —————————— 19—————————— तक जिसमें ——————
19—————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–3 (फार्म एन. डी. पी. एस.–3)

[नियम 29 (1) (2)]

पोस्त तृण के परिवहन के लिए पास

(द्वितीय प्रति)

(गन्तव्य स्थान के आबकारी निरीक्षक को भेजने हेतु)

कम–संख्या .... दिनांक ....

श्री/सर्वश्री .... को एतद्द्वारा .... से
.... तक

पोस्त–तृण का, जिसका विस्तुत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए

प्राधिकृत किया जाता है — बन्डल

परिवहन किये जाने वाले पोस्त तृण की कुल मात्रा — संख्या — कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है।

(1) परेषण अधिवहन में तोड़ा नहीं जायेगा।

(2) यह पास .... 19 .... तक जिसमें ....
.... 19 .... भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय

(1) परिवहन किये गये पोस्त–तृण की मात्रा जो प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण– 3 (फार्म सं. एन. डी. पी. एस–3)

[नियम 29 (1) (2)]

पोस्त–तृण के परिवहन के लिए पास

(तृतीय प्रति)

(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदन को देने के लिए)

कम–संख्या ..... दिनांक .....

श्री/सर्वश्री .....को ..... एतद्द्वारा .....से .....

त्क पोस्त तृण का, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता हैः

परिवहन किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा — बन्डल संख्या — कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता हैः

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————— 19 ———————— तक जिसमें ———19 ———— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर पदनाम

थटिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर–

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–3 (फार्म सं. एन. डी. पी. एस. –3)

[नियम 29 (1) (2)]

पोस्ततृण क परिवहन के लिए पास

(चतुर्थ प्रति)

(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

कम संख्या ———————— दिनांक ———————— 19 ————

श्री/सर्वश्री ———————— को ———— एतद्द्वारा ———— से ———— तक पोस्त–तृण का, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

बन्डल

परिवहन किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा ——————————————

संख्या कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष औषधि नियमावली, 1986 के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है:

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ——————— 198 ————— तक जिसमें ——— 19—————— ————— भी सम्मिलित हैं, प्रवृत रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त–तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)

[नियम 33 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(प्रथम पति)

(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदन को देने के लिये)

कम–संख्या ————————————— दिनांक ————— 19—————

श्री/सर्वश्री ——————————— को एतद्द्वारा ————— से ——— तक पोस्त तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जात है।

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त तृण की कुल मात्रा ——————————————

संख्या कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है।

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ——————————— 19 ———— तक जिसमें ————— 19 —————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन.डी. टी.)

[नियम 33 (1) (2)]

पोस्त तृण आयात के लिए पास

(द्वितीय प्रति)

(निर्यात के जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करने के लिये)

क्रम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————— से ————तकप

पोस्त तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

————————————————————————————————

————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें —————19

———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)

[नियम 33 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(तृतीय प्रति)

(आयात के सर्किल के आबकारी निरीक्षक को भेजने हेतु)

क्रम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————— से —————19–

——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है

————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

————————————————————————————————

————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें —————19

———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)

[नियम 33 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(चतुर्थ प्रति)

(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————— से ————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

————————————————————————————————

————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————19
———————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)

[नियम 34 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(प्रथम पति)

(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदक को देने के लिये)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————— से ————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

————————————————————————————————

————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें —————
—————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
[नियम 35 (1) (2)]
पोस्त तृण के निर्यात के लिए पास
(प्रथम पति)
(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदक को देने के लिये)

कम–संख्या ——————————— दिनांक ————————— 19 ———
श्री / सर्वश्री —————————— को एतद्द्वारा ——————— से ————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें —————
—————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
[नियम 35 (1) (2)]
पोस्त तृण के निर्यात के लिए पास
(द्वितीय प्रति)
(निर्यात के सर्किल के आबकारी निरीक्षक को देने के लिये)

कम–संख्या ——————————— दिनांक ————————— 19 ———
श्री / सर्वश्री —————————— को एतद्द्वारा ——————— से ————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

बन्डल

निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा————————————

संख्या कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————— ————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)

[नियम 35 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(तृतीय प्रति)

(आयात के जिले के कलेक्टर को देने के लिये)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ————————— से —————तक– ——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

	बन्डल	
निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा	संख्या	कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————— ————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)

[नियम 35 (1) (2)]

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(चतुर्थ प्रति)

(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ————————— से —————तक–

----- तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

	बन्डल	
निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा	संख्या	कुल वनज

यह पास उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ------------------- 19 ------ तक जिसमें ---------

------------------ भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–6 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –6)

[नियम 42]

लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा माह ------------------- 19 ---------- के दौरान कय और विकय किये गये पोस्त तृण के लेखा का रजिस्टर

लाइसेंसधारी का नाम ---------------------

दिनांक	प्रारम्भिक अतिषेष	कय की गयी मात्रा	लाइसेंस धारी या खेतिहर का नाम और पता जिससे कय किया गया	कलेक्टर द्वारा स्वीकृत परिवहन या आतात पास की संख्या और दिनांक	स्तम्भ–2 और 3 का योग	विकय की गयी मात्रा
1	2	3	4	5	6	7

केता या अनुज्ञा–पत्रधारी का नाम और पता जिसे विकय किया गया	कलेक्टर द्वारा ऐसी बिकी के लिये स्वीकृत परिवहन या निर्यात पास याविषेष अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक	अन्तिम अतिषेष	अभ्युक्ति
8	9	10	11

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)

[नियम 53 (3)]

विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास

(प्रथम प्रति)

(परेषण के साथ लगाने के लिये आवेदक को देने हेतु)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ——————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ——————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां
1	2	3

यह पास ———————————————— तक विधिमान्य है

दिनांक : कलेक्टर

(पृष्ठ भाग)

निर्यात वास्तव में निर्यात निर्यात सर्किल के गन्तव्य स्थान पर भिन्नता यदि आयात करने वाले का की गई विनिर्मित आबकारी निरी– प्राप्त विनिर्मित कोई हो जिले के सत्यापन दिनांक औषधि की मात्रा क्षक का हस्ताक्षर औषधि की मात्रा

अधिकारी
हस्ताक्षर

1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)

[नियम 53 (3)]

विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास

(द्वितीय प्रति)

(निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ——————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ——————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां
1	2	3

यह पास ———————————————— तक विधिमान्य है

दिनांक : कलेक्टर

(पृष्ठ भाग)

निर्यात का दिनांक	वास्तव में निर्यात की गई विनिर्मित औषधि की मात्रा	निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक का हस्ताक्षर	गन्तव्य स्थान पर प्राप्त विनि मित औषधि की मात्रा	विभिन्नता यदि कोई हो	आयात करने वाले जिले के सत्यापन अधि कारी के

हस्ताक्षर

1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
[नियम 53 (3)]
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(तृतीय प्रति)
(आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायगी)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————— को ———— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां
1	2	3

यह पास ———————————— तक विधिमान्य है
दिनांक :
(पृष्ठ भाग)
कलेक्टर

निर्यात का दिनांक	वास्तव में निर्यात की गई विनिर्मित औषधि की मात्रा	निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक का हस्ताक्षर	गन्तव्य स्थान पर प्राप्त विनिमित औषधि की मात्रा	विभिन्नता यदि कोई हो	आयात करने वाले जिले के सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
[नियम 53 (3)]
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(चुतर्थ प्रति)
(अभिलेख के लिए रखी जायेगी)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————— को ———— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां

1	2	3

वह पास ——————————————————— तक विधिमान्य है

दिनांक : कलेक्टर

(पृष्ठ भाग)

निर्यात का दिनांक	वास्तव में निर्यात की गई विनिर्मित औषधि की मात्रा	निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक का हस्ताक्षर	गन्तव्य स्थान पर प्राप्त विनि मित औषधि की मात्रा	विभिन्नता यदि कोई हो	आयात करने वाले जिले के सत्यापन अधि कारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ओ.–1)

[नियम 64 (2) तथा 66]

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के आधार पर मुख से सेवन के प्रयोजनार्थ अफीम को कब्जे में रखने और उसके परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र

(तीन प्रतियों में)

1– स्वापक औषधि आदेष–3 के रजिस्टर में अफीम अनुज्ञा–पत्रधारी की कम संख्या–
———————————————————————————

2– अनुज्ञा पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और वृत्ति ....
....

3–आयु ....

4– पिता/पति का नाम ....

5– स्थायी पता ....

6– चिकित्सा प्रमाण–पत्र का निर्देष ....

(1) चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण–पत्र का दिनांक ....

(2) प्रतिमास अफीम की अनुषंसित मात्रा ....

(3) अनुज्ञा–पत्रधारी के शरीर पर पहचान चिन्ह जो नियुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा सत्यापित किया गयाः

(1)

(2)

(3)

7– कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिमाह के लिए अनुज्ञात अफीम का कोटाः

(क) 30 जुन ——————— को समाप्त होने वाली तिमाही।

(ख) 30 सितम्बर, ——————— को समाप्त होने वाली तिमाही।

(ग) 31 दिसम्बर, ——————— को समाप्त होने वाली तिमाही।

(घ) 31 मार्च, ——————— को समाप्त होने वाली तिमाही।

8– अनुज्ञा–पत्रधारियों के पते में पष्चात्वर्ती परिवर्तन (यदि कोई हो) यह अनुज्ञा–पत्र

उत्तर प्रदेष स्वाषक औषधि नियमावली, 1985 के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्रधारी षर्तोंके अधीन अफीम को कब्जे में रखने और परिवहन करने के लिए प्राधिकार दिया गया है।

शर्तें

1– यह अनुज्ञा–पत्र .... से 31 मार्च, 19 ....

(दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक प्रवृत्त रहेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को, यथासंभव षीघ्र और किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर सीानीय आबकारी निरीक्षक को उसके प्रति–हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगा।

3– (ए) अनुज्ञा–पत्रधारी किसी एक मास के दौरान ग्राम से अधिक अफीम प्राप्त नहीं करेगाः

परन्तु यह मात्रा उत्तर–प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 64 के उपनियम (8) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में कम की जायेगी।

(दो) अनुज्ञा–पत्रधारी अपने कब्जे में सम्बंधित तिमाही के लिए नियत अफीम के मासिक कोटे से अधिक अफीम किसी भी समय नहीं रखेगा।

4–(एक) अनुज्ञा–पत्रधारी अपनी अफीम का सम्भरण जिले के सदर कोषागार के सिवाय अन्य किसी स्थान से प्राप्त नहीं करेगा।

(दो) अनुज्ञा–पत्रधारी कोषागार से अफीम ले जाने के पूर्व उसके क्रय का ब्योरा यहां संलग्न प्रपत्र– ''घ'' में कोषागर में दर्ज करायेगा।

(तीन) अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न किसी अफीम का न तो परिवहन किया जायेगा, न कब्जे में रखा जायेगा और न सेवन किया जायेगा।

(चार) अनुज्ञा–पत्रधारी अफीम को सदर कोषागार से स्वयं क्रय करेगा।

(पांच) इस अनुज्ञा–पत्र पर क्रय की गयी अफीम को अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा अविलम्ब और निकटतम मार्ग से अपने घर ले जाया जायेगा।

5– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने अनुज्ञा–पत्र में नियत मात्रा तक क्रय किये गये पोस्त–तृण को अपने स्थायी पते के अतिरिक्त उत्तर प्रदेष के भीतर किसी भी स्थान पर, जहां वह अस्थायी रूप से रहे, ले जाने के लिए प्राधिकृत है।

6– अनुज्ञा–पत्रधारी, जिसका तैमासिक कोटा कलेक्टर के द्वारा कम कर दिया गया हो, इस प्रकार कम किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर परिवर्तित कोटे को अपने अनुज्ञा–पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा।

7– यह अनुज्ञा–पत्र अनन्तरणीय है और अनुज्ञा–पत्रधारी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दिया जाता है। इस अनुज्ञापत्र पर प्राप्त अफीम का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न,

जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया है। अफीम का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8– इस अनुज्ञा–पत्र में स्वीकृत अफीम के क्रय, परिवहन और कब्जे में रखने का विषेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक वह इस अनुज्ञा–पत्र के अनुसार अफीम के सेवन से आनुर्षगिक है।

9–अनुज्ञा–पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा जो पुलिस उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, मांग करने पर इस अनुज्ञा–पत्र को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

10– उपर्युक्त किसी ष्षर्त का या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित किसी ष्षर्त का अतिलंघन करने पर यह अनुज्ञा–पत्र कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है और अफीम का स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

11– यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा–पत्र रद्द कर दिया जाय या इसकी समाप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो अप्रयुक्त अफीम का सम्पूर्ण स्टाक तुरन्त कलेक्टर को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

जिला .....

दिनांक ..... कलेक्टर

प्रपत्र–घ

[नियम 64()2]

---------- तक अनुज्ञा–पत्रधारी के द्वारा क्रय की गयी अफीम का विवरण

दिनांक	चालू मास में क्रय के लिये अनुज्ञात अफीम की कुल मात्रा	क्रय की गई अफीम की मात्रा	चालू मास के प्रथम दिन से क्रय की गयी अफीम की मात्रा का चालू योग	चालू मास में अनुज्ञात मात्रा और चालू योग (स्तंभ–4) के बीच अंतर	सदर कोष गार के प्रभारी
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि आदेष 2 (फार्म सं. एन/डी. ओ.–2)
[नियम 65 (1) (2) और 66]
उत्तर प्रदेष में वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों हेतु
अफीम को कब्जे में रखने और परिवहन करने के लिये अनुज्ञा
(तीन प्रतियों में)

1– अनुज्ञा–पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और वृत्ति ——————————

2– पिता/पति का नाम ——————————————————

3– स्थायी पता ——————————————————————

4– प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया ——————————

5– अनुज्ञात अफीम की मात्रा ——————————————

6– अफीम का प्रयोग करने के स्थान पर विवरण ——————————————

7–वह अवधि जिसके दौरान अफीम का उपयोग किया जाना है ——————————

8– सदर कोषागार का नाम जहां से अफीम प्राप्त की जायेगी ——————————

9– अनुज्ञा–पत्र के लिये जमा की गयी फीस ——————————

10– अनुज्ञा पत्र की प्रवर्तनावधि ——————————————— तक

यह अनुज्ञा–पत्र, जो कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनतर्गत और उसके उपबन्धों के अधीन ——————————
निवासी ——————— को (जिसे आगे 'अनुज्ञा–पत्रधारी'' कहा गया है) स्वीकृत किया जाता है जिसमें उन्हें निम्नलिखित षर्तोंके अधीन वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों के हेतु अफीम का परिवहन करने और कब्जे में रखने के लिये प्राधिकार दिया गया है।

षर्तें

1–अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को, यथा सम्भव ष्षीघ्र और किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर, सीनीय आबकारी निरीक्षक को उसके प्रति–हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत करेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी अपनी अफीम का सम्भरण केवल जिला मुख्यालय के सदर कोषागार से ही प्राप्त करेगा और उसे प्रयोग के लिये अनुमोदित स्थान को अविलम्ब निकटतम मार्ग से ले जायेगा और वह अभिवहन में परेषण को गडबड़ नहीं करेगा।

3– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को अफीम क्रय करने के समय सदर कोषागार में अनुज्ञा–पत्रधारी को बेची गयी अफीम की मात्रा को अनुज्ञा–पत्र के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकित करने के लिये प्रस्तुत करेगा।

4– यह अनुज्ञा–पत्र अनन्तरणीय है, और अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही दिया जाता है।

5– इस अनुज्ञा–पत्र पर प्राप्त अफीम का या तो मुक्त दान या बिक्री के रूप में अन्तरण पूर्णतः प्रतिषिद्धि हैं।

6– अनुज्ञापत्रधारी द्वारा इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न किसी अफीम का न तो परिवहन किया जायेगा, न कब्जे में रखा जायेगा और न प्रयोग किया जायेगा।

7– इस अनुज्ञा– पत्र के अधीन स्वीकृत अफीम का परिवहन करने और कब्जे में विषेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक इस अनुज्ञा–पत्र के अनुसार उसका है।

8– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने द्वारा क्रय की गयी और प्रयुक्त अफीम की मात्रा का निर्यात लेखा इसमें संलग्न प्रपत्र ''ड'' में रखेगा।

9– अनुज्ञा–पत्रधारी अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तनावधि के दौरान अपने लेखा में अन्तिम रूप में दिखायी गयी मात्रा से अधिक अफीम किसी भी समय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

10–अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा ऐसी वस्तु का जिसके उत्पादन में अफीम का प्रयोग आनुषधिक है कब्जे में रखना और व्ययन करना उचित होगा।

परन्तु जब उत्पादित वस्तु औषधिय निर्मित हो तब उसका विक्रय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा स्वापक औषधि और प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–षुल्क) अधिनियम 1955 या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अतिलंघन नहीं किया जायेगा।

11–अनुज्ञा–पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी के न हो, मांग करने पर इस अनुज्ञापत्र को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

12– उपर्युक्त किसी ष्षर्त का या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 द्वारा या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित किसी ष्षर्त का अतिलंघन करने पर अनुज्ञा–पत्र कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है और स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

13– यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा–पत्र अभ्यर्पित, निलम्बित या रद्द कर दिया जाता है या इसकी समप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो अप्रयुक्त, अफीम का सम्पूर्ण स्टाक तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

जिला––––––––––

दिनांक –––––––––– कलेक्टर

प्रपत्र–"ड."

[नियम 65 (2)]

क–अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा क्रय की गयी अफीम का ब्योरा

दिनांक	क्रय करने के लिये अनुज्ञात अफीम की कुल मात्रा	क्रय की गयी अफीम की मात्रा	क्रय की गयी अफीम की मात्रा का चालू योग	कोषागार के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

ख– प्राप्त अफीम के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक अतिषेष	प्राप्त मात्रा	हस्तगत कुल मात्रा	प्रयुक्त मात्रा	अन्तिम अतिषेष	सक्षेप में उपयोग करने का ढंग	अनुज्ञा–पत्र धारी के लघु हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–3 (फार्म सं. एन.डी. ओ.–3)

[नियम 64 (6)]

अफीम के अनुज्ञा–पत्रधारियों का रजिस्टर

1– क्रम संख्या

2– आवेदन–पत्र का दिनांक

3–अनुज्ञा–पत्रधारी का पूरा नाम उपनाम

सहित (यदि कोई हो)

4– जाति, धर्म और वृत्ति

5– पिता/पति का नाम

6–पता मकान संख्या

मोहल्ला/ग्राम नगर,

परगना, तहसील

7– पहचान चिन्ह

8– एक मास के लिये नियत मात्रा

9– दिये गये अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक

10– कोटा में किये गये पष्चात्वर्ती परिवर्तन

11– पते में पष्चात्वर्ती परिवर्तन

12– अनुज्ञा–पत्र को रद्द करने या नवीकरण के विषय में अभियुक्त

13– अनुज्ञा–पत्र–प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा–पत्रधारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में निम्नलिखित नियमावली द्वारा संषोधन हुआः–

प्रथम संशोधन– उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि (प्रथम संषोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेष गजट, आसाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांकित 17 अक्टूबर, 1989 में प्रकाषित हुई।

ख– प्राप्त अफीम के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक अतिषेष	प्राप्त मात्रा	हस्तगत कुल मात्रा	प्रयुक्त मात्रा	अन्तिम अतिषेष	सक्षेप में उपयोग करने का ढंग	अनुज्ञा–पत्र धारी के लघु हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–3 (फार्म सं. एन.डी. ओ.–3)

[नियम 64 (6)]

अफीम के अनुज्ञा–पत्रधारियों का रजिस्टर

1– कम संख्या

2– आवेदन–पत्र का दिनांक

3–अनुज्ञा–पत्रधारी का पूरा नाम उपनाम

सहित (यदि कोई हो)

4– जाति, धर्म और वृत्ति

5– पिता/पति का नाम

6–पता मकान संख्या

मोहल्ला/ग्राम नगर,

परगना, तहसील

7– पहचान चिन्ह

8– एक मास के लिये नियत मात्रा

9– दिये गये अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक

10– कोटा में किये गये पष्चात्वर्ती परिवर्तन

11– पते में पष्चात्वर्ती परिवर्तन

12– अनुज्ञा–पत्र को रद्द करने या नवीकरण के विषय में अभियुक्त

13– अनुज्ञा–पत्र–प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा–पत्रधारी के

हस्ताक्षर

टिप्पणी

उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में निम्नलिखित नियमावली द्वारा संषोधन हुआः–

प्रथम संशोधन– उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि (प्रथम संषोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेष गजट, आसाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांकित 17 अक्टूबर, 1989 में प्रकाषित हुई।

द्वितीय संशोधन–उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1999, जो उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांक 8 फरवरी, 1999 में प्रकाशित हुई, नीचे दी जा रही है–

उत्तर प्रदेश सरकार, आबकारी अनुभाग–2

अधिसूचना संख्या 437ई–2/तेरह–99–23–85 दिनांक 8 फरवरी, 1999

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अधीन ष्षक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 को संषोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. नियम 53 का संषोधन– उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में, दिये गये वर्तमान नियम 53 के स्थान पर नीचे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

53, निर्यात की प्रक्रिया– (1) कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को विनिर्मित औषधियों का निर्यात करने का इच्छुक हो, उपनियम (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, आबकारी आयुक्त को निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है जिसके साथ आयात प्राधिकार पत्र या उस राज्य का जिसे विनिर्मित औषधियां निर्यात की जानी हो "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच कर सकता है, जैसी वह आवष्यक और, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित निर्यात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदन को निर्यात प्राधिकार पत्र दे सकता है।

(3) निर्यात प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर, कलक्टर, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फर्मा एन.डी.ई.) में चार प्रतियों में, निर्यात पास जारी करेगा। पास एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिए आवेदन को दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रख दी जायेगी।

(4) उपनियम(1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी, जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों और अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों को, उस अस्पताल या संस्थान के प्रधान द्वारा मांगपत्र पर, किसी विनिर्मित औषधि का जो कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आवष्यक हो, निर्यात करना चाहता है, तो वह उस जिले के कलक्टर को, जहां उस औषधि का विनिर्माण होता है, आवेदन–पत्र दे सकता है और कलक्अर, ऐसी जांच के उपरान्त, जिसे वह आवष्यक समझे, और यह समाधान हो जाने पर कि निर्यात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं, उक्त मांगपत्र के आधार पर निर्यात प्राधिकार पत्र दे सकता है। तत्पष्चात कलक्टर इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात फार्म एन.डी. ई. में, चार प्रतियों में, निर्यात पास जारी करेगा। पास की एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिए आवेदन को दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रख दी जायेगी।

(5) निर्यात सर्किल का आबकारी निरीक्षक, आवष्यक सत्यापन के पष्चात् अपने पास भेजे गये पास की प्रति के पूष्ठ भाग पर वास्तव में निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले कलक्टर को लौटा देगा।

(6) परेषती अपने द्वारा परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवष्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात परेषण पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से निर्यात पास देने वाले कलक्टर को लौटा देगा। यदि प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त न हो तो सम्बद्ध व्यति द्वारा अग्रतर परेषण का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोटः– कृपया पुस्तक के पृष्ठ–75 पर दिये गये नियम 53 को उपर्युक्तानुसार संषोधित करें।

6. ।ए जेम डमकपबपदंस ।दक ज्वपसमज

Preparations (Excise Duties) Act, 1955
(Act No. 16 of 1955)

Received the assent of the President on the 27th April, 1955
[27 th april, 1955]

An Act to provide for the levy and collection of duties of excise on medicinal and toilet preparations containing alcohol, narcotic drug or narcotic.

Be it enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows-

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This act may be called the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955.

(2) It extends to the whole of india.[2]

(3) It shall come into force on such date[3] as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) " alcohol" means ethyl alcohol of any strength and purity having the chemical composition C_2H_5OH:

4[(aa) "coca derivative" means-

(i) crude cocaine, that is, any extract of coca leaf which can be used directlyor indirectly, for the manufacture of cocaine;

(ii) ecgonine, that is, laevo-ecgonine having the chemical formula $C_2H_{12}NO_3H_2O$, and all tle derivatives of laevo-ecgonine from which formula $C_{17}H_{21}NO_4$, and its salts;

(ab) "coca leaf" means-

(i) the leaf and young twigs of any coca plant, that is, of the Erythroxylon coca (Lamk) and the Erythroxyion nivogratense (Hiern.) and their varieties, and of any

other species of this genus which the central Government may, by notitication in the Official Gazette, declare to be coca plant for the purposes of this Act; and

(ii) any mixture thereof, with or without neutral materials;

(b) "collecting Government" means the Central Government or, as the case may be, the State Government which is entitled to collect the duties levied under this Act;

1(bb) "derivative of opium" means-

(i) medicinal opium, that is, opium which has undergone the processes necessary to adapt it for medicinal use;

(ii) Prepared opium, that is, any product of opium obtained by any series of operations designed to transform opium into an extract suitable for smoking, and the dross or other residue remaining after opium is smoked;

(iii) Morphine, that is, the principal alkaloid of opium having the chemical formula $C_{17}H_1NO_3$ and its salts, and its derivatives;]

© "dutiable goods" means the medicinal and toilet preparations specified in the Schedule as being subject to the duties of excise levied under this Act;

(d) "excise officer" means an officer of the Excise Department of any State and includes any person empowered by the collecting Government to exercise all or any of the powers of an excise officer under this Act;

2[(e) "Indian hemp" means-

(i) the leaves, small stalks and flowering of fruiting tops of the Indian hemp plant (Cannabis sativa L) including all forms known as bhang, siddhi or ganja;

(ii) Charas, that is, the resin obtained from the Indian hemp plant, which has not been submitted to any manipulations other than those necessary for packing and transport;

(iii) Any mixture, which or without neutral materials of any of the above forms of Indian hemp or any drink prepared therefrom; and

(iv) Any extract or tincture of any of the above forms of Indian hemp,]

(f) "manufacture" includes any process incidental or ancillary to the completion of the manufacture of any dutiable goods;

(g) "medicinal preparation" includes all drugs which are a remedy or prescription prepared for internal or external use of human beings or animals and all substances intended to be used for or in the treatment mitigation or prevention of disease in human beings or animals.

[3](h) " narcotic drug" or "narcotic" means a substance which is coca leat or coca derivative, or opium, or derivative of opium, or Indian hemp and shall include any other substance, capable of causing or producing in human beings dependence, tolerance and withdrawal syndromes and which the central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a narcotic drug or narcoticl;

1(i) "Opium" means-

(1) the capsules of the poppy (papaver somniferum 1), whither in their origmal form or cut, crushed, or powdered and whether or not juice has been extracted therefrom.

(2) The sponatenously coagulated juice of such capsules when has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transport, and

(3) Any mixture, with or without neutral materials, or any of the above form of opium.

And includes any derivative of opium;]

(j) " prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "toilet preparation" means any preparation which is intended for use in the toilet of the human body or in perfuming apparel of any description, or any substance intended to cleanse, improve or alter the complexion, skin, hair or teeth, and includes deodorants and perfumes.

Levy and Colletion of Duties

3. Duties of excise to be levied and collected on certain goods. – (1) there shall be levied duties of excise, at the rate specified in the schedule, on all dutiable goods manufactured in India.

(2) The duties aforesaid shall be leviable,-

(a) Where the dutiable goods are manufactured in bond, in the State in which such goods are released from a bonded warehouse for home consumption, whether such state is the State of Manufacture or not;

(b) Where the dutiable goods are not manufactured in bond, in the State in which such goods are manufactured.

(4) Subject to the other provisions contained in this Act, the duties aforesaid shall be collected in such manner as may be prescribed.

Explanation. – Dutiable goods are said to be manufactured in bond within the meaning at this section it they are allowed to be manufactured without payment of any duty of excise leviable under any law for the time being in force in respect of alcohol, 2[narcotic drur or narcotic] which is to be used as an ingredient in the manutacture of such goods.

4. rebate of duty on alcohol, etc., supplied for manufacture of dutiable goods.- Where alcohol, 2[narcotic drug or narcotic] had been supphed to a manufacturer of any dutiable goods for use as an ingredient of such goods by or under the authority of the collecting Government and a duty of excise on the goods so supplied had already been recovered by such Government under any law for the time being in force. The collecting Government shall, on an application under this Act, a rebate to such manufacturer of the excess, if any, of the duty so recovered over the duty leviable under this Act.

5. Recovery of sums due to Government.- In respect of the duty of excise and any other sums of any kind pyable to the collecting Government under any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder, the excise officer empowered by the aid rules to levy such duty or require the payment of such sums, may deduct the amount so payable from any money owing to the

person from whom such sums may be recoverable or due, which may be in his hands or under his disposal or control or may recover the amount by attachment and sale of dutiable goods belonging to such person: and if the amount payable is not so recovered, he may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from the person liable to pay the sum and send it to the collector of the district in whichsuch person resides or conducts his business, and the said Collector on receipt of such certificate shall proceed to recover from the said person the amount specified therein in the same manner as an arrear of land revenue.

6. Certain operations to be subject to licences- (1) The Centrai Government may, by notification in the Official Gazette provide that from such date as may be specified in the notification, no person shall engage in the production or manufacture of any dutiable goods or of any specified component parts or ingredients of such goods or of specified containers of such goods or of labels of such containers except under the authority and in accordance with the terms and conditions of licence granted under this Act.

(2) Every licence under sub-section (1) shall be granted for such area if any, for such period, subject to such restrictions and conditions, and in such form and containing such particulars as may be prescribed.

7. Offences and penalties.- If any person-

(a) contravenes any of the provisions of a notification issued under secor

(b) evades the payment of any duty of excise payable under this acto or.

(c) Fails to supply any information which he is required by rules made under this Act to supply or (unless with a reasonable belief the burden of proving which shal be upon him, that the information supplied by him is true), supplies false information, or

(d) Attempts to commit or abets the commission of any offence mentmed in Cl (a) or Cl. (b).

He shall for every such offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

8. Power of courts to order forfeiture- Any court trying any offence under Sec. 7 May order the forfeiture to the collecting Government of any dutiable goods in respect of which the court is satisfied that an offence under this act has been committed and may also order the forfeiture of any alcohol, drugs or materials by means of which the offence has been committed and of any teceptacies, packages or coverings in which any such goods or articles are contained and the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying such goods or articles and any implements or machinery used in the manufacture of such goods.

Power and Duties of Officers and Landholders

9. Power to arrest. – Any excise officer duly empowered by rules made in this behalf amy arrest any person whom he has reason to believe to be liable to punishment under this Act.

(2) Any person accused or reasonably suspected of committing an offence under this Act or any rules made thereunder, who, on demand of any excise officr duly empowered by rules made under this Act, refuses to give his name and residence, or who gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false may be arrested by such officer in order that his name and residence may be ascertained.

10. Power to summon persons to give evidence and produce documents in inquiries under this Act. – (1) Any excise officer duly empowered by rules made in this behalf shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry which such officer is making for any of the purposes of this Act.

(2) A summons to produce documents or other things under sub-section (1) may be for the production of certain specified document or things or for the

production of all documents or things of a certain description in the possession or undr the control of the person concerned.

(3) All persons so summoned shall be bound to attend either in person or by an authorized agent as such officer may direct and al persons so summoned shall be bound to state the truth on any subject respecting which he is examined or make statements and produce such documents and other things as may be required:

Provided that the exemptions under Sec. 132 and sec. 133 of the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to requisitions for attendance under this section.

(5) Every such inquiry as aforesaid shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Sec. 193 and Sec. 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

11. Officers required to assist excise officers- All officers of customs and Central excise, and such other officers of the Central Government as may be specified in this behalf, and all police officers and all officers engaged in the collection of land revenue are hereby empowered and required to assist excise officers in the execution of this Act.

12. Owners or occupiers of land to report manufacture of contraband dutiable goods.– Every owner of occupier of land and the agent of any such owner or occupier in charge of the management of that land, if dutiable goods are manufactured thereon in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, Shall in the absence of reasonable excuse, be bound to give notice of such manufacture to a manstrate or to an officer of the Excise, Customs, Police or Land Revenue Department immediately the fact comes to his notice.

13. Punishment for connivance at offences-Any owner or occupier of land or any agent of such own or occupier in charge of the management of that land, who willfully connives at any offence against the provisions of this Act or any rules made thereunder shall for every such offence, be punishable with

imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

14. Searches and arrests how to be made. – All arrests and searches made under this Act ou under any rules made thereunder shall be carried out in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1998, relating respectively to searches and arrests under that Code.

15 Disposal of persons arrested. – (1) Every person arrested under this Act shall be forwarded without delay to the nearest excise officer empowered to send persons so arrested to a Magistrate or if there is no such excise officer within a reasonable distance to the officer in charge of the nearest police station.

(2) The officer in charge of a police station to whom any person is forwarded under sub-section (1) shall either admit him to bail to appear before a Magistrate having jurisdiction, or in default of bail forward him without delay in custody to such Magistrate.

16. Inquiry how to be made by excise officers against arrested persons forwarded to them- (1) when any person is forwarded under Sec. 15 to an excise officer empowered to send persons so arrested to a magistrate the excise officer shall proceed to inquire into the charge against him.

(2) For the purpose of sub-section (1), the excise officer may exercise the same powers, and shall be subject to the same provisions as the officer in charge of a police station may exercise and is subject to under the code of criminal Procedure, 1898, when investigating a cognizable case:

Provided that-

(a) if the excise officer is of opinion that there is sufficient evidence or reasonable ground of suspicion against the accused person, he shall either admit him to bail to appear before a Magistrate having jurisdiction in the case or forward him in custody without delay to such Magistrate.

(b) If it appears to the excise officer that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion against the accused person, he shall

release the accused person on his executing a bond, with or without sureties as the excise officer may direct, to appear, it and when so required, betore the Magistrate having jurisdiction and shall make a full report of all the particulars of the case to the official superior.

(3) all officers exercising any powers under Section 15 or this section shall so exercise their powers as to ensue that every person who is every person who is arrested and detained in custody is produced before the nearest Magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate.

17. Vexatious search, Seizure, etc., by excise officer- (1) Any officer exercising powers under this Act or under the rules made there under who-

(a) without reasonable ground of suspicion searches or causes to be searchea any place, conveyance or vessel,

(b) vexatiously and unnccessarily detains, searches or arrests any person.

(c) Vexatiousty and unecesarily seizes the movable property of any person on pretence of seizing or searching for an article liable to confiscation under this Act.

(d) Commits, as such officer, any other act to the injury of any person, without having reason to believe that such act is required for the execution of his duty,

Shall for every such offence, be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) Any person willfully and maliciously giving false information and so causing an arrest or a search to be made under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

18. Failure of excise officer on duty.- Any excise officer who ceases or refuses to perform or withdraws himself from, the duties of his office, unless he had obtained the express written permission of his superior officer, or has

given such superior officer two months notice in writing of his intention or has other lawful excuse, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to there months, or with lime which extend to theree months' pay or with both.

Supplementary provisions

19. Power to make rules- (1) The central Government may by notification in the official Gazette, makes rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may-

(i) provide for the assessment and collection of duties levied under this Act. The authorities by whom functions under this act are to be discharged the issue of notices requiring payment, the manner in which the duties shall be payable and the recovery of duty not paid.

(ii) prohibit absolutely. Or with such exceptions, or subject to such conditions as the Central Government may think fit, the manufacture, or any process of the manufacture. Of dutiable goods or of any component parts or ingredients or containers thereof, except on land or premises approved for the purpose.

(iii) regulate the removal of dutiable goods from the place where they are stored or manufactured or subjected to any process of production or manufacture and their transport to or from the premises of liensed person, or a bonded warehouse, or to a market.

(iv) regulate the production or manufacture 1[or any process] of production or manufacture, the possession and storage of dutiable goods or of any component part or ingredients or containers thereof, so far as such regulation is essential for the proper levy and collection of duties levied under this Act.

(v) Provide for the employment of excise officers to supervise the carrying out of any rules made under this Act.

(vi) Require a manufacturer or the licensee of a warehouse to provide accommodation within the precincts of his factory or warehouse for excise officers employed to supervise the carrying out of rules made under this Act and prescribe the scale of such accommodation;

(vii) Provide for the appointment, licensing, management and supervision of bonded warehouses and the procedure to be followed in entering dutiable goods into and clearing goods from such warehouses or in the movement of dutiable goods from one bonded warehouse to another.

(viii) Provide for the distinguishing of excisable goods which have been manufactured under license, of materials which have been imported under and of goods on which duty has been paid or which are exempt from duty under this Act;

(ix) Impose on persons engaged in the manufacture, storage or sale (whether on their own account or as brokers or commission agents) so far as such imposition is essential for the proper levy and collection of the duties levied under this Act, the duty of furnishing information keeping records and marking returns and prescribe the nature of such information and form of such records and returns, the particulars to be contained therein and the manner in which they shall be verified.

(x) Require that dutiable goods shall not be sold or offered or kept for sale except in prescribed containers, bearing a banderol, stamp or label of such nature and affixed in such manner as may be prescribed.

(xi) Provide for the issue of licenses and transport permits and the fees, if any to be charged therefore,

(xii) Provide for the detention of dutiable goods, plant , machinery or material for the purpose of exacting the duty,

(xiii) Provide for the confiscation dutiable goods in respect of which a breach of any rule made under this Act has been committed, and also for the confiscation of any alcohol, drugs or materials by means of which the breach has been committed and of any receptacle,

packages or coverings in which such goods or articles are contained, and the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying such goods or articles and any implements or machinery used in the manufacture of such goods.

(xiv) Provide for the levy of a penalty not exceeding two thousand rupee for a breach of any rule made under this Act.

(xv) Provide for the procedure in connection with such confiscation and the imposition of such penalty, the maximum limits up to which particular classes of excise officers may adjudge such confiscation or penalty, appeals from orders of such officers and revision of sucl orders by some higher authority, the time-limit for such appeals an revisions and the disposal of goods and articles confiscated,

(xvi) Authorize and regulate the compounding of offences against, or liabilities incurred under, this Act or the rules made thereunder;

(xvii) Authorize and regulate the inspection of factories and provide for the taking of samples or for the making of tests of any substanc produced therein and for the inspection or search or any place conveyance or vessel used for the production, storage, sale or transport of dutiable goods in so far as such inspection or search is essential for the proper levy and collection of the duties levied under this Act.

(xviii) Provide for the grant of a rebate of the duty paid on dutiable good. Which are exported out of India or shipped for consumption on a voyage to any port outside India;

(xix) Exempt any dutiable goods from the whole or any part of the duty levied under this Act where in the opinion of the Centra Government, it is necessary to grant such exemption in the interest a the trade or in the public interest;

(xx) Notify in the Official Gazete lists of the names and descriptions a preparations which would fall for assessment under any particular item

of the Schedule or for regulating their manufacture, transpor and distribution,

(xxi) Authorize particular classes of excise officer to provide by writte instructions for supplemental matters arising out of any rule made b the central Government under this section.

(3) Where any confiscation or penalty has been adjudged in respect of breach of any rule under this Act. Which is also an offence under Section 7 th person concerned shall not be prosecuted under that section.

[1][(4) Every rule made under this section shall be laid as soon as may b after it is made before each House of Parliament while it is in session for a tot period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or the session immediately following both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have offect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulinent shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

20. Bar of suits and limitation of suits and other legal proceeding-(1). No suit or other legal proceeding shall be against the collecting Government or against any officer in repect of any order passed in good faith or any act in good fath done or ordered to be done under this Act.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against the collecting Government or against any officer for anything done or ordered to be done under this Act after the expiration of six months from the accrual of the cause of action or from the date of the act or order complained of.

21. Repeals and savings.- If, immediately before the commencement of this Act, there is in force in any state any law corresponding to this Act, that law is hereby repealed,

Provided that all rules made, notification issued, licences or permits granted, powers conferred under any law hereby repealed shall, so far as they are not

inconsistent with this Act, have the same force and effect as if they had been respectively made, issued, granted or conferred under this act and by the authority empowered hereby in this behalf.

The Schedule

(See Section 3)

Item No.	Description of dutiable goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
	Medicinal preparations	
1.Allopathic, Medicnal Preparations:		
(i)	Medicinal preparations containing alcohol which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages-	
	(a) Patent or proprietary medicines	Twenty percent advalorem
	(b) Others	Twenty percent advalorem
(ii)	Medicinal preparations containing alcohol which are capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages-	
	(a) Medicinal preparations which contain known active ingredicnts in therapeutic quantities	Twenty percent ad valorem
	(b) Others	Twentv percent ad valerem
(ii)	Medicinal preparations not containing alcohol but containing narcotic drug or narcotic	Twenty per cent ad valorem
2. Medicinal preparations in ayurvedic, Unani or other indingenouss systems of medicme-		
(i)	Medicinal preparations containing self-generated alcohol which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages	Four per cent ad valorem
(ii)	Medicinal preparations containmg self generated alcohol which are capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages	Four per cent ad valorem
(iii)	Medicinal preparations not containing alcohol but containing narcotic drug or narcoti	Twenty per centad valorer
3. Homoeopathic preparations containing akohol		Four per cent ad valorem
	Toilet preparations	
4. Toilet preparations containing alcohol or narcotic drug or narcotic		Fifty per cent ad valorem

Explanation I.- "patent or proprietary medicines" means any medicinal preparation which bears either on itself or on its container or both, a name which is not specified in a monograph in a pharmacopoea, formulary or other publications notified in this behalf by the Central Government in the official Gazette, or which is a brand name that is a name or a registered trademark under the trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), or any other mark such as a symbol, monogram, label, signature or invented whrds or any writing which is used in relation to that medicinal preparation for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the preparation and some person having the right either as proprietor or otherwise to use the name or mark with or without any indication of the identity of that person.

Explanation II- Where any article is chargeable to duty at a rate dependent on the value of the article, such value shall be deemed to be the value as determined in accordance with the provisions of Section 4 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation III- (1) Notwithstanding anything contained in Explanation II, the Central Government may by notification in the. Official Gazette, specify any dutiable goods, in relation to which it is required, under the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force, to declare on the package thereof the retail sale price of such goods, to which the provisions of clause (2) Shall Apply.

(2) Where dutiabie goods specified under clause (1) are chargeable to duty with reterence to value, then Notwithstanding anything contained in Explanation II, such value shall be deemed to be the retail price declared on such goods, less such amount of abatement , it any, from such retail price as the Central Government may allow by notification in the Offical Gazette.

(3) The central Government may, for the purpose of allowing any abatement under clause (2), take into accound the duty of excise, sales tax and other taxes, if any, payable on such goods,

(4) Where on the package of any dutiable goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be retail sale price for the purposes of caluse (2).

(5) Where different retail sake prices are declared on different packages for the sale of any dutiable goods, in packaged for in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the dutiable goods intedned to be sold in the area to which the retail sale price relatcs.

(6) For the purpose of this explanation, " retail sale price" mains the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes local or otherwise, freight, transport charge, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

Note on

6-B. The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955

The Act extends to whole of Indian and came into force with effect from april 1, 1957.

It provides for the levy and collection of dutics on medicinal and toilet prepan ations containing alcohol, opium, opium Indian homp or other narcotic drugs or narcotics, termed as dutiable goods. With the above object, the Act also regulates the manufacture of these dutiable goods, Section 2 of the Act defines a number of terms Section 3 provides for the levy and collection of excise duties on goods leviable at rates specified in the schedule to theAct, The Schedule has been amended by the Parliament from time to time. The duty is leviable- (a) Where the goods are manufactured in bond, in the state in which such goods are released from a bonded warehouse for human consumption and (b) where goods are not manufactured in bond, in the State in which such goods are released from a bonded warehouse for human consumption and (b) where goods are not manufactured in bond, in the state in which goods are manufactured. Although, duties of excise on the aforesaid goods are levied by parliament they are collected:-

(a) in the case, where such duties are leviable within any union Territory, by Government of India, and

(b) in other cases, by the states within which duties are respectively leviable (vide Article 268 pf the Constitution).

Provision has been made in Section 4 to allow rebate of duty of alcohol supplied for the manufacture of dutiable goods, Section 5 Provides for the recovery of sums due to government. Under Section 6, no dutiable goods can be manufactured without an appropriate licence. Manufacture of dutiable goods without a licence or evasion of payment of excise duty payable under the Act and the attempt or betment of commission of the offences and failure to supply correct information are punishable under Section 7 With imprisonment upto six months on fine up to two thousand rupees or both Courts have been empowered

under Section 8 to order forfeiture of dutiable goods, alcohol or other materials Under Section 9, excise officers duly empowered by rules made in this behalt may arrest any person whom he has reason to believe to be liable to punishment under the Act. Section 10 provides that any excise officer duly empowered by rules made in this behalf shall have power to summon persons to give evidence and produce documents in enquiries under the Act. Under Section 11, all officers of customs and Central Excise and other officers of the Central Government and all police officers and all officers engaged in the collection of land revenue are required to assist excise officers in the execution of this Act. Section 12 provides that owners or occupiers of land are bond to report manutacture of contraband dutiable goods to a magistrate or to an officer of Excise, Custome, Police or land revenue department Under Section 13, Connivance at offence by any owner or occupier of land or his agent is punishable with imprisonment which may extend to six months or with tine which may extend to five hundred rupees or both Section 14 provides that scarches and arrests are to be made in accordance with the relevant provisions of the code of criminal procedure Section 15 provides that every person arrested shall be forwarded to the nearest excise officer empowered to send persons so arrested to a Magistrate or if there is no such excise officer within reasonable distance, to the officer in charge of the nearest police station who shall admit to baol or in default of bail forward him whithout delay in custody in Magistrate under section 16 excise officers may exercise same powers as the officer in charge may exercise when investigating a cognizable case Section 17 provides that vexatious search, seizure etc. by excise officers is punishable with fine which may extend to two thousand rupees. Sersons willfully and maliciously giving falso information and so causing an arrest or search so made shall be punishabie with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to two thousand rupees or both.

Section 19 empowers the Central Government of make rules to carry out the purposes of the Act. Under the above section, The Central Government has framed rules called the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956 which came into effect from 1.4.1957.